

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

सरयुग राम

वनाम

बटेश्वर चौधरी

वाद संख्या-41/2013-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

18.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा बड़गाँव थाना वो अंचल कु० स्थान जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
307 पु०	1595 पु०	8 कड्डा 5 धुर	उ०-बटेश्वर चौधरी
	2172		
708 नया	नया		द०-सड़क
			पु०-बटेश्वर चौधरी
			प०-शिव शंकर चौधरी

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि कार्यवाही की भूमि वादी की खतियानी रैयती के वैध वो स्वभाविक उत्तराधिकारी के वो वारिसान को उचित मुआवजा देकर भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानानुसार बजरिये निबंधित केवाला, केवाला संख्या 8714 दिनांक 30.07.90 को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानानुसार विक्रेता के स्वमित्व का हस्तान्तरण क्रेतागण के नाम से हो गया एवं उक्त तिथि से वादी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है जिसका उपयोग वो उपभोग वादीगण किया करता है। कार्यवाही की भूमि का हाल खतियान का प्रकाशन वादीगण के विक्रेता के पुर्वज के नाम से खुल गया है जिसके कारण भूमि विवाद उत्पन्न हो गया है जिसका निराकरण हेतु यह अधिकार का प्रख्यापन का वाद दायर किया गया है।

कार्यवाही भूमि के अतिरिक्त भूमि का दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी संख्या 32 वनाम सरयुग पे0 फौदार राय के नाम से रकवा 15 कटठा 5 धुर कायम है जिसका अद्यतन राजस्व की अदायगी किया गया है। कार्यवाही की भूमि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल के कु0 स्थान अंचल के बड़गाँव के अवस्थित है। फलस्वरूप वादी के द्वारा वाद पत्र दाखिल किया जा रहा है।


दूसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि वाद पत्र में स्वतः वर्णित है कि हाल सर्वे खतियान अन्तर्गत धारा 103 बी0 टी0 एक्ट वाद विक्रेता के नाम प्रविष्ट हो गया है जिस कारण उनका अधिकार वाद की भूमि पर प्रख्यापित किया जाय। परंतु उनके विक्रेता वो खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी कौन है स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही उन्हे प्रतिपक्षी में नामित किया गया है इसके साथ ही साबिक खतियान के रैयत कौन है एवं कौन कौन उनके उत्तराधिकारी है को भी स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही उसके परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है सही समय में व्यक्तियों को पक्ष कार नहीं बनाने के फलस्वरूप वाद ननज्वाईन्डर वो मिस ज्वाईन्डर ऑफ द पार्टीज से पीड़ित है। सी0 पी0 सी0 ऑर्डर रूल (1) से (7) के लिहाज से वाद पत्र असंतुलित रहने वो ऐसी विधिक त्रुटियों के कारण वाद पत्र सर्वथा खारिज योग्य है। वाद पत्र के आदि वो अन्त में विवाद का कोई विशिष्ट कारण तिथि वो समय अंकित नहीं किया गया है वो फिर कोई विशिष्ट अनुतोष की माँग नहीं की गई है वो फिर वादी का सत्यापन नहीं किया गया है जो सर्वथा सार मूल्य है एवं इस दृष्टी से वाद पत्र अवैध अवांछित वो यथोचित नहीं होता है कि अग्रतर विचारण किया जाय अस्तु वाद को सिरे से खारिज करना न्यायोचित में है। वाद की भूमि पुराना खेसरा 1595 का 2172 नया स्थल पर खेसरा नया 2171, 2170, 2173 एवं अन्य से मिश्रित है जो प्रतिवादी सरीखो भिन्न 2 रैयतो का नाम एवं उनकी अभिधारिता वो व्यवहृता मे है एवं वादी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। उनकी माँग भूमि सीमाकन का नहीं है बल्कि उनकी माँग अधिकार प्रख्यापन का है जो उनके विक्रेता से ही सम्बद्धता रखता है फिर ऐसा वाद लाने का तुक नहीं है। स्थल पर खेसरा नं0 2172 की भूमि प्रतिवादी की पैत्रिक अर्जित के धरोहर की सम्पदा है जो निर्वाध से उनके दखल कब्जा में है भारतीय खाद्य अधिनियम के अनुसार उस भूमि का साक्ष्य यथा लगान रसीद हाल सर्वे खतियान प्रतिवादी को प्राप्त है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि खेसरा नया 2172 रकवा 08 कट्टा 05 धुर पर निबंधित केवाला के आधार पर दावा किया गया है एवं केवाला की छायाप्रति संलग्न की गयी है। प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि मरौसी होने की बात कही गयी है। वादी द्वारा सुधार

आवेदन देकर प्रश्नगत भूमि के साथ एक अन्य हिस्सा खेसरा 2171 एफ वाला हिस्सा सम्मिलित करवाया गया। फिर वादी द्वारा लिखित बहस में भूमि के विवरण में खेसरा 2172 नया एवं 2172 का एफ वाला हिस्सा दर्शाया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र, सुधार आवेदन एवं लिखित बहस में बार-बार अलग खेसरा का जिक्र किया जा रहा है इससे प्रतीत होता है कि वादी को प्रश्नगत भूमि के बारे में सही जानकारी नहीं है। एवं न्यायालय किसको सही मानकर वाद में निर्णय ले यह स्पष्ट नहीं है। वादी द्वारा बताया गया है कि उक्त भूमि के हाल खतियान का प्रकाशन वादीगण के विक्रेता के पुर्वज के नाम से खुल गया है परंतु प्रश्नगत भूमि के हाल खतियान की प्रति संलग्न की गयी है। संलग्न केवाला एवं संलग्न हाल खतियान से यह स्पष्ट नहीं होता कि वादीगण के विक्रेता एवं खतियानी रैयत का कोई संबंध है। हाल खतियान की जो प्रति संलग्न की गयी है वो खेसरा संख्या 2171 का है जो प्रश्नगत भूमि से अलग है। इस प्रकार वाद की अस्पष्टता एवं सक्षम साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित


18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल



18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल